FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

रामाराम बनाम डाकराराम वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. 8/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/3/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री हरिराम चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21/4/2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
21/04/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये। प्रार्थी वकील द्वारा डिलेवरी रसीद पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगणों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। नियमित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 28/06/2021 को पेश हो। [initials]	
28/06/2021	पत्रावली पेश हुई। ... पक्षकार ... उपस्थित पीठासीन ... रिक्त है अतः पत्रावली ... दिनांक 04/12/2021 को पेश हो। [initials]	

माक / वाद / 2022 /

04/12/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 25/02/2022 को पेश हो।

25/02/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सटा सटकर आये हुए हैं खेतों के मध्य जो पुरानी मेढ व कोने बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है खेत की सीमाओं को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु पैमाबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमाबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बामडु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पैमाबंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) बामडु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2022 / 85 दिनांकः– 25/2/22

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. रामाराम पुत्र फूसाराम जाति जाट, निवासी भगोंणियों की ढाणी, पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु (बाड़मेर)	1. ठाकराराम पुत्र खेताराम वगैरा 33 जाति जाट, निवासी भगोंणियों की ढाणी, पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 85 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – भादुओं की ढाणी, पटवार मण्डल – माडपुरा बरवाला, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 83 रकबा 9.2307 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2022 / 86-90 दिनांकः– 25/02/2022

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का माडपुरा बरवाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री रामाराम पुत्र फूसाराम
4. विप्रार्थी श्री ठाकराराम पुत्र खेताराम वगैरा 33
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु